रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 1988/आषाढ़ 2, 1910
No. 352] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 1988/ASADHA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1988

सा. का. नि. 732 (अ) :—कोयला खान विनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1988 है ।

2. कोयला खान विनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 123 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

123. धूल से बचने के लिए पूर्वाविधानियां : (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक ऐसे कदम उठाएगा जो धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ऐसी धूल के दमन के लिए जो भूमि के नीचे या भूतल कार्यस्थल से वायु में प्रवेश करती है, आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्वसन योग्य धूल के प्रति कर्मकारों का अनावृत रहना उस

हद तक सीमित हो सके जो युक्तियुक्त रूप से साध्य है, किन्तु किसी भी दशा में यह उस सीमा से अधिक न हो सके जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो ।

2 इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के कार्य करने या गुजरने या वहां होने के लिए कोई स्थान अहानिकर हालत वाला नहीं समझा जाएगा, यदि आठ घंटे का समय जो वायु वाहित श्वसनयोग्य धूल का वजनीकृत औसत संकेन्द्रण है, मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित और अवधारित किस्म के गुरुत्वमापी धूल प्रतिचयक द्वारा सैंपल किए गए वायु के प्रति क्यूबिक मीटर मिली ग्राम में वहां तीन से अधिक हो जाता है जहां निर्बाध श्वसनीय विद्यमान सिलिका 5 प्रतिशत से कम है और अन्य दशाओं में विद्यमान निर्बाध श्वसनीय सिलिका की प्रतिशतता के साथ 15 अंक को विभाजित करके प्राप्त मूल्य ;

(3) (क) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इस विनियम के प्रवृत्त होने के छह मास के भीतर और उसके पश्चात् कम से कम प्रत्येक छह मास में या जब कभी लिखित आदेश द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक ऐसे अपेक्षा करे, प्रत्येक ऐसे कार्य स्थान पर, जहां वायुवाहित धूल विकसित होती है, वहां की वायु का सैम्पल करा ले और उसमें श्वसनीय धूल के संकेन्द्रण अवधारित करा ले :

परन्तु यदि किसी कार्यस्थान पर किसी माप से संकेन्द्रण उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात संकेन्द्रण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञात सीमा" कहा गया है) पचास प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत से अधिक प्रतीत होता है तो पश्चातवर्ती माप ऐसे अन्तराल पर किए जाएंगे जो क्रमशः तीन मास या एक मास से अधिक का न हो :

परन्तु और कि ऐसे माप भी, किसी संयंत्र, उपस्कर या मशीनरी के चालू किए जाने पर या किसी नवीन कार्य व्यवहार के प्रारम्भ किए जाने पर या उसमें ऐसे परिवर्तन किए जाने पर जिससे वायुवाही श्वसनीय धूल के स्तरों में पर्याप्त परिवर्तन होने की संभावना हो, तुरन्त किए जाने चाहिए ।

(ख) सैम्पल करने की अवस्थिति, आवृत्ति, समय, अवधि और पद्धति ऐसे होगी जो, यथासाध्य, लिए गए सैम्पल कर्मकार व्यक्तियों के धूल प्रभावन स्तर का वास्तविक द्योतक हो और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा अर्थात् :—

(1) कार्य करने के पर्यावरण धूल उत्सर्जन के स्रोतों और धूल संकेन्द्रण के स्तरों की पहचान करने के लिए "स्थैतिक मानीटरन", और

(2) कर्मकार व्यक्तियों के श्वसन क्षेत्र में पहुंचने वाली वायु का "वैयक्तिक मानीटरन" ।

चरम उत्सर्जनों के दौरान सैम्पलिंग की समयक अल्पकालिक सैम्पलिंग द्वारा की जाएगी ।

(ग) सैम्पल ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ऐसे सैम्पल लेने वाले उपस्करों और उपसाधनों के साथ लिया जाएगा जिनकी शुद्ध अनुरक्षण और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल कर ली गई हो और जिनकी परीक्षा, परीक्षण तथा अंशांकन ऐसी तारीख को किया गया हो जो एक वर्ष से पहले की न हो ।

(घ) सैम्पलों का श्वसनीय धूलांश और स्फटिक अंश यथासाध्य समुचित रूप से सुज्ञात ऐसी प्रयोगशाला में अवधारित किया जाएगा, जो इस निमित्त मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित की गई हो ।

(ङ) वायुवाही श्वसनीय धूल के मापों के सभी परिणाम और सभी अन्य सुसंगत विशिष्टया सैम्पलों के संग्रह किए जाने की तारीख से चार दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृष्ठ संख्यांकित जिल्दबद्ध बही में व्यवस्थित रूप में से अभिलिखित की जाएंगी । और चौबीस घंटे के भीतर पूर्वोक्त बही की प्रत्येक प्रविष्टि प्रबन्धक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी और तारीख डाली जाएगी।

(4) जब धूल मानीटरन के परिणाम से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी स्थान पर धूल संकेन्द्रण को अनुज्ञात सीमा बढ़ रही है तो सुसंगत संक्रिया या संक्रियाएं, जिनसे अधिक धूल आती है, समाप्त कर दी जाएंगी और ऐसी संक्रिया या संक्रियाएं तब तक न तो पुनः आरम्भ की जाएंगी और न तो की जाने के लिए अनुज्ञात की जाएंगी, जब तक धूल के निवारण और दमन में सुधार नहीं हो जाते हैं तथा उक्त संक्रिया या संक्रियाओं के पुनरारम्भ पर तुरन्त किए गए नए सैम्पलिंग से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि ऐसे सुधारों से धूल संकेन्द्रण "अनुज्ञात परिसीमा" से नीचे हुआ है :

परन्तु यह कि यदि किसी मशीनरी या उपस्कर को धूल निवारण और दमन को युक्तियुक्त दक्षतापूर्वक कार्य करने में असफल रहती है तो उक्त मशीनरी या उपस्कर का संचालन उसी प्रकार समाप्त कर दिया जाएगा और तब तक पुनः आरम्भ नहीं किया जाएगा जब तक उस त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया जाता है ।

परन्तु यह और कि किसी ऐसी कार्य स्थिति में, जहां शुद्ध रूप से संरक्षण के आकस्मिक उपाय या अनुपूरक उपाय के रूप में, तकनीकी रीति से श्वसनीय धूल संकेन्द्रण को अनुज्ञात सीमा से नीचे रखना संभव नहीं है या किसी युक्ति को प्रतिस्थापित और चालू करने या धूल निवारण या दमन के लिए किसी नवीन कार्य व्यवहार को संस्थापित करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान, अनुज्ञेय धूल अनावरण सीमा का अनुपालन सुदूर संक्रिया द्वारा या कार्य आवर्तन द्वारा पूरा

किया जा सकेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर समुचित धूल श्वसित्र के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा ।

(5) प्रत्येक ऐसी खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक जहां धूल श्वसित्रों की आवश्यकता हो सकती है, संबंधित कर्मकार व्यक्ति की लागत के बिना उसके प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में धूल श्वसित्रों की, धूल श्वसित्र की नियमित सफाई विसंक्रामण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण की हालत में अनुरक्षण करने की और श्वसित्रों की समुचित फिटिंग की और संबद्ध कर्मकारों को इसकी आवश्यकता और प्रयोग करने को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ।

(6) धूल फैलने और एकत्रित होने और वायुवाही धूल के प्रसार को निवारित करने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) धूल का दमन, उसके बनने के स्रोत से जहां वह बनती है, यथासंभव समीप किया जाएगा :

(ख) भूतल पर या भूतल से नीचे पत्थर बर्माने या बोर करने के दौरान—

(i) ऐसे टुकड़ों जो तीक्ष्ण हों, और समुचित आकार के हों, का प्रयोग करके, टुकड़ों पर उपयुक्त दबाव डालकर और छिद्रों को कतरनों से साफ करके धूल के उत्पादन को कम किया जाएगा :

(ii) कतरन करने वाले धार पर कतरनों को गीला करने के लिए जेट या जल का रुख किया जाएगा या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित उसी प्रकार की अन्य कारगर युक्ति का उपबन्ध किया जाएगा और संक्रियाओं के दौरान वातावरण को धूल से भरने से रोकने के लिए ये कार्य जारी रखे जाएंगे। जहां वायवीय बरमाने की क्रिया की जाती है, वहां बरमें की ओर संपीडित वायु करने से पहले जल का रुख किया जाएगा । किन्तु जब बरमाने की क्रिया हाथ से की जाए तब यह पर्याप्त होगा यदि छिद्रों को ऐसे बरमाने के दौरान लगातार गीला रखा जाए ।

(ग) भूमितल पर या सतह के नीचे प्रत्येक सड़क, जहां बल खनन मशीनरी कार्यरत हो नियमित रूप से गीली रखी जाएगी या किन्हीं अन्य उसी प्रकार की कारगर युक्ति द्वारा वातावरण में फैलने वाली धूल को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से अभिक्रियान्वित किया जाएगा जिससे कि वातावरण में धूल न उठ पाए ।

(घ) खनिजों या अयस्कों को छानने या छांटने के लिए कोई संयंत्र और यथाशक्य सिंडर, सिमेंट, रेत, मोरटार या अन्य शुष्क और बारीक सामग्री की कोई ढेर किसी डाउन कास्टशैफ्ट या अंतर्ग्रहीत वायुमार्ग के ऊपर 80 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा, या ऐसी किसी सामग्री को इस प्रकार प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जिससे कि वह वायुवाही हो जाए और ऐसे शैफ्ट या वायुमार्ग में खिसककर न चला जाए ।

(ङ) भूमि के नीचे का प्रत्येक खान में—

(1) ऐसे किसी मशीनरी या उपस्कर को, जिससे अनुज्ञात सीमा से अधिक धूल निकलने की संभावना है, तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक वह समुचित धूल निवारक और दमन की युक्ति से सुसज्जित न हो और जब तक कि ऐसी युक्ति कारगर रूप से कार्य न कर रही हो :

(2) प्रत्येक यांत्रिक कोयला कर्तक पर पिकों के डिजाइन व्यवस्था, सामग्री और हालत ऐसी होगी जिससे कि धूल का बनना कम-से-कम हो जाए और कोई यांत्रिक कोयला कर्तक तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक समुचित जल के छिड़काव या जल के जैट का उस के कटिंग किनारों पर रुख न किया जाए जिससे कि कटिंग को नम किया जा सके जैसे ही वे बने ।

(3) प्रत्येक कार्यरत मुख और उसके साठ मीटर के भीतर प्रत्येक सड़क या वायुमार्ग के तल, छत और किनारे जब तक पूरी तरह स्वाभाविक रूप से गीले न हों, धूल एकत्रित होने से रोकने के लिए नियमित रूप से धुलाई की जाएगी और उन्हें काम की पारियों के दौरान पूर्णत: गीला रखा जाएगा ।

(4) किसी मशीनरी या संक्रिया द्वारा निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए पर्याप्त वायु प्रवाह और धूल संकेन्द्रण को "अनुज्ञात सीमा" से नीचे रखने के लिए सामान्य संवातन द्वारा और यदि आवश्यक हो स्थानीय संवातन द्वारा बनाए रखा जाएगा जिससे कि यथाशक्य किसी सड़क मार्ग या कार्यस्थान में वायु की गति ऐसी न हो जिससे कि वातावरण में धूल उठ सके ।

(5) विस्फोटन के पश्चात् कार्यस्थानों में तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक वायु-प्रवाह धूल और गुबार साफ हो जाने के लिए पर्याप्त समय न बीत गया हो तथा खंडित सामग्री को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इन्हें जल द्वारा पूरी तरह से गीला न कर दिया गया हो ।

(6) कोयले के परिवहन के लिए प्रयुक्त यानों, टबों और कन्वेयरों को अच्छी हालत में रखा जाएगा जिससे कि अधिप्लावन और रिसन कम हो सके । शूटों, मशीनी कन्वेयरों, अयस्कपातों, बिनों, रिक्तकों, कन्वेयर निर्वहन बिन्दुओं और बाल्टी लदान और उतरान संस्थापनों का इस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा जिससे कि धूल बनना न्यूनतम हो जाएगा । ऐसी सामग्रियों को तब तक पूरी तरह गीला भी किया जाएगा जब तक कि वे पूरी गीली नहीं हो जाती या धूल दबाने के ऐसी किसी अन्य युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(7) जब तक कि विशेष कठिनाइयों के कारण, प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से छूट नहीं दी जाती है और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, पाइप में जल को पर्याप्त परिमाप में और पर्याप्त दबाव के अधीन और अलग से किसी पंपिंग प्रणाली का भी उपबंध किया जाएगा और उसी हालत में बनाए रखा जाएगा जिससे कि धूल को अधिक-से-अधिक कारगर रूप से शान्त किया जा सके ।

(च) कोयले या पत्थरों के पीसने, तोड़ने, विघटित करने, तराशने, छांटने, ग्राइंडिंग करने, छानने या सीविंग करने की किसी प्रक्रिया को या उससे अनुषंगिक किसी संक्रिया को किसी खान में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक दक्षतापूर्वक पानी देने या अन्य समुचित और प्रभावी धूल नियंत्रण उपाय जैसे कि, जो अलग करने, बाड़ा लगाने, संवातन और धूल संग्रहण तक सीमित नहीं है, परिकल्पित उपबन्धित, अनुरक्षित और प्रयोग नहीं किए जाते हैं ।

(छ) भूमि के नीचे या सतह पर निष्कासित वायु को, जिसमें "अनुज्ञात सीमा" से अधिक धूल हो, कारगर रूप से तनुकृत किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कार्यस्थान में पुनः परिचालित करने से पूर्व या वातावरण में छोड़ने से पूर्व, इस प्रकार फिल्टरित किया जाएगा जिससे कि उसमें की श्वसनीय धूल के संकेन्द्रण को "अनुज्ञात सीमा" से दस प्रतिशत से नीचे कम रखा जा सके ।

(ज) किसी मशीनरी, उपस्कर या प्रक्रिया द्वारा उत्पादित धूल के निवारण और दबाने के लिए तथा निष्कासित वायु को फिल्टर करने के लिए भी प्रयुक्त प्रत्येक युक्ति का और प्रत्येक धूल श्वसित्र का सात दिन में कम-से-कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक छह मास की अवधि में कम-से-कम एक बार पूरी परीक्षा और जांच की जाएगी और प्रत्येक ऐसे निरीक्षण, परीक्षा और जांच के परिणामों की रिपोर्ट को, उपविनियम (3) के खण्ड (ङ) के अधीन रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा ।

7. प्रत्येक ऐसे खान का प्रबन्धक जहां वायुवाही धूल उत्पादित होती है, एक स्कीम बनाएगा और उसे कार्यान्वित करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा—

(क) नमूने का अवस्थान, आवृत्ति, समय अवधि और पद्धति ;

(ख) नमूने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और उपगाधन ;

(ग) प्रयोगशाला जहां नमूने की श्वसनीय धूल कीअन्तर्वस्तु और स्फटिक अन्तर्वस्तु अवधारित की जाएगी ;

(घ) रूपण, जिसमें धूल संकेन्द्रण के मापो के परिणाम और अन्य विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी;

(ङ) धूल मान्टिर करने और धूल निवारण तथा उसे दबाने संबंधी उपायों और धूल श्वसित्रों की परीक्षा और अनुरक्षण के लिए संगठन ; और

(च) धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को इस निमित्त प्रत्येक द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से पूर्णतः सुपरिचित कराने की रीति ।

(8) प्रादेशिक निरीक्षक, जहां ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों, एक लिखितआदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, पूर्वगामी उपबन्धों में या प्रबन्धक की स्कीम में किसी परिवर्तन की अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा ।

(9) इस विनियम में विनिर्दिष्ट किसी बात के संबंध में किसी शंका के उत्पन्न होने पर वह मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की जाएगी ।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 123क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"123. कक. धूल नियंत्रण के बारे में उपायों का निष्पादन—(1) खान के ऐसे प्रत्येक भाग को, जो प्राकृतिक रूप से पूर्णतः गीला नहीं है या जो विस्फोटसह स्टोपिंग द्वारा अलग नहीं किया गया है,—

(क) यथा शक्य कोयले की धूल के किसी संचय से मुक्त रखा जाएगा, और

(ख) (1) बारीक ज्वलनशील धूल से, ऐसी रीति में और ऐसे अन्तरालों पर अभिक्रियित किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि फर्श, छत और किनारों पर धूल और किसी आलम्ब या संरचना में कोयले के संस्तरों की दशा में, जिनमें वाष्पशील पदार्थ (शुष्क और राख रहित आधार पर) 30 प्रतिशत से कम है, अज्वलनशील पदार्थ का मिश्रण हमेशा 75% से कम नहीं होगा और ऐसे कोयले के संस्तरों की दशा में, जिनमें ऐसे वाष्पशील पदार्थ के 30 प्रतिशत से अधिक है, अज्वलनशील पदार्थ 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा; या

(2) पानी से ऐसी रीति में और ऐसे अन्तरालों पर अभिक्रियित किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि फर्श, छत और किनारों पर धूल और किसी आलम्ब या संरचना पर सदैव प्रगाढ़ मिश्रण में जल भार के आधार पर 30 प्रतिशत से संयोजन में कम नहीं होगा; या

(3) ऐसी रीति से अभिक्रियित किया जाएगा जो प्रादेशिक निरीक्षक लिखित रूप में आदेश द्वारा अनुमोदित करें ।

(2) (क) इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई अज्वलनशील धूल—

(1) ऐसी होगी कि उसमें मुक्त सिलिका 5 प्रतिशत से अधिक न हो;

(2) इतनी बढ़िया और स्वरूप की होगी कि वह वायु में आसानी से बिखेरने योग्य हो और यह कि जब उन स्थानों में प्रयोग की जाए, जो परत से जल द्वारा प्रत्यक्षतः गीले नहीं किए गए हैं, वह पिंड न बने, किन्तु जब मुख से या किसी समुचित साधित्र द्वारा उड़ाई जाए, तो वायु में बिखर जाती है; और

(3) यथासाध्य रंग में हल्के धूसर की होगी ।

ऐसी कोई भी अज्वलनशील धूल प्रयोग नहीं की जाती रहेगी यदि वह परीक्षणों में, जो प्रत्येक तीन मास में कम-से-कम एक बार किए जाएंगे, पूर्वगामी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाई जाती है।

परन्तु जब किसी खान में प्रयोग की जाने वाली अज्वलनशील धूल का प्रदाय किसी नियमित स्रोत से नहीं है, तो ये परीक्षण किए जाएंगे, जब भी अज्वलनशील धूल का नया प्रदाय प्राप्त होता है ।

(ख) यदि कोई स्थान या खान का भाग अज्वलनशील धूल से अभिक्रियित किया जाना है, तो—

(1) अज्वलनशील धूल से अभिक्रियित करने से पूर्व, सभी कोयले की धूल यथासाध्य छत, किनारों, फर्श, छादा-धार, काग, छड़े विभंजक, कपड़ा या कोई अन्य वस्तु या संरचना या स्थान से, जिस पर कोयले की धूल जमा हो जाए, साफ की जाएगी और इस प्रकार एकत्रित होने वाली सभी धूल 24 घंटे के भीतर सतह पर हटाई जाएगी ।

(2) अज्वलनशील धूल पर्याप्त मात्रा में और ऐसे अन्तरालों पर जो उपविनियम (1) (ख) के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, वस्तुओं, संरचनाओं और स्थानों पर फैलाई जाएगी ;

(3) वायु के बहने की दिशा में कोयले की धूल की सफाई की जाएगी और अज्वलनशील धूल फैलाई जाएगी ;

(4) अज्वलनशील धूल का पर्याप्त प्रदाय खान के उपयुक्त स्थानों पर सुगमता से उपलब्ध होगा और भूमि के नीचे धूल के प्रदाय में कोई भी कमी तुरन्त प्रबन्धक के ध्यान में लाई जाएगी ; और

(5) भिन्न-भिन्न स्थानों में चट्टा लगाई गई और खान में कड़ाहों पर या धूल रौधों में रखी गई अज्वलनशील धूल, जब कभी वह सुगमता से बिखरने योग्य नहीं है या उस पर कोयले की धूल की परत आ जाती है, बदल दी जाएगी ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 123-ख में,—

(1) उपविनियम (1) में, "विनियम 123" शब्द और अंकों के स्थान पर "विनियम 123क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(2) (क) उपविनियम (4) में,—

(अ) खण्ड (ख) में, "24 घंटे" अंकों और शब्द के स्थान पर "20 घंटे" अंक और शब्द रखे जाएंगे :

(आ) खण्ड (ग) में, "विनियम 123(5)(ख)" शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "विनियम 123क (1)(ख)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) उपविनियम (5) में, "विनियम 123 (5)(ख)" शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "विनियम 123क(1)(ख)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

5. उक्त विनियमों के विनियम 136क के नीचे की सारणी में, स्तम्भ 1, में "प्रथम डिग्री" शब्दों के स्थान पर "प्रथम, द्वितीय या तृतीय डिग्री" शब्द और "द्वितीय डिग्री" शब्दों के स्थान पर "प्रथम या द्वितीय डिग्री" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 146 में—

(1) उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई भी खान या गैलरी निकटतम संवातन संयोजन से 4.5 मीटर से अधिक दूरी तक विस्तारित नहीं की जाएगी जब तक वायु प्रवाह अग्नि प्रतिरोधी पाइपों, ट्यूबों, विभाजकों या अन्य सामग्री के माध्यम से मुख के 4.5 मीटर के भीतर किसी स्थल तक नहीं पहुंचता है ।"

(2) उपविनियम (7) और (8) का लोप किया जाएगा ।

[संख्या एस-66012/4/86-एम०आई०]

आर० टी० पाण्डेय, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd June 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 732(E).—The following draft of certain regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1988.

2. In the Coal Mines Regulations, 1957 (hereinafter referred to as the said regulations), for regulation 123, the following regulation shall be substituted, namely :—

"123. Precautions against dust.—(1) The owner, agent or manager of every mine shall take such steps as are necessary for the minimising of emissions of dust and for the suppression of dust which enteres the air at any workplace below-ground or on surface and for ensuring that the exposure of workers to respirable dust is limited to an extent that is reasonably practicable but in any case not exceeding the limits that are harmful to the health of persons.

(2) For the purpose of this regulation, a place shall not be deemed to be in a harmless state for persons to work or pass or be therein if the 8 hours time-weighted average concentration of airborne respirable dust in milligrams per cubic metre of air sampled by a gravimetric dust sampler of a type approved by and determined in accordance with the procedure as specified by the Chief Inspector by a general or special order exceeds three where free respirable silica present is less than 5 per cent and the value arrived at by dividing the figure of fifteen with the percentage of fee respirable silica present in other cases.

(3) (a) The owner, agent or manager of every mine shall within six months of the coming into force of this regulation and once at least every six months thereafter or whenever the regional inspector so requires by an order in writing, cause the air at every workplace where airborne dust is evolved to be sampled and the concentration of respirable dust therein determined :

Provided that, if any measurement at any workplace shows the concerntration in excess of fifty per cent or seventy-five per cent of the allowable concentration specified in sub-regulation (2) (herein after referred to as 'permissible limit') the subsequent measurements shall be carried on at intervals not exceeding three months or one month respectively :

Provided further that, such measurements shall also be carried on immediately upon the commissioning of any plant, equipment or machinery or upon the introduction of any new work practice or upon any alteration therein that is likely to bring about any substantial change in the levels of air-borne respirable dust.

(b) The location, frequency, timing, duration and pattern of sampling shall be such that the samples drawn are as far as practicable truly representative of the levels of dust exposure of workpersons, and shall include —

(i) 'Static monitoring' to identify sources of dust emission and levels of dust concentration in working environment; and

(ii) 'personal monitoring' of air reaching the breathing zone of workpersons.

The sampling shall be duly supplemented by short-term samples during peak emissions.

(c) Samples shall be taken by a person who has been specially trained for the purpose in the sampling equipment and accessories that have been checked to ensure correct maintenance and efficient operation thereof and examined tested and calibrated on a date which is not earlier than one year.

(d) Respirable dust content of the samples and quartz content shall be determined as soon as practicable at a properly equipped laboratory approved in writing by the Chief Inspector in that behalf.

(e) All results of measurements of airborne respirable dust and all other relevant particulars shall be systematically recorded within four days of the date of collection of samples in a bound paged book kept for the purpose, and every entry in the book aforesaid shall be countersigned and dated by the manager within twenty-four hours.

(4) When the dust monitoring results have established that the permissible limit of dust concentration is being exceeded at any place, the relevant operation or operations causing excessive dust shall cease and the operation or operations shall not be resumed and allowed to be carried on until improvements have been made in the prevention and suppression of dust and fresh sampling carried out immediately on resumption of the said operation or operations has established that such improvements have reduced the dust concentration below the 'permissible limit' :

Provided that if the dust prevention and suppression device of any machinery or equipment fails to operate efficiently the operation of the said machinery or equipment shall like-wise cease and shall not be resumed uptil the defect therein has been rectified:

Provided further that, purely as a contingency measure or as secondary means of protection in a worksituation where in it is technically not feasible to reduce the respirable dust concentration below 'permissible limit' or during the time period necessary to instal and commission any device or to institute any new workpractice for dust prevention or suppression, compliance with the permissible limit of dust may be achieved by remote operation or by a job rotation and failing which by the use of suitable dust respirator.

(5) The owner, agent or mangaer of every mine where need of dust respirators might arise, shall provide dust respirators in sufficient number and at no cost to concerned work for persons for their use for the dust respirators in sufficient number and at no ted and maintained in efficient working order; and for the proper fitting of and for thorough training of

the concerned workers in the need for and correct use of respirators.

(6) To prevent the liberation and accumulation of dust and the propagation of airborne dust, the following provisions shall have effect, namely :—

(a) dust shall be suppressed as close as possible to its source of formation;

(b) during any operation of drilling or boring in stone on surface or belowground—

(i) the production of dust shall be reduced by using bits which are sharp and of proper shape, by keeping suitable pressure on the bits and by keeping the holes clear of the cuttings;

(ii) a jet or water shall be directed on to the cutting edge to wet the cuttings or other equally efficient device approved by the Chief Inspector shall be provided and kept in operation to prevent the atmosphere being charged with dust. Where pneumatic drilling is performed, whater shall be turned on before turning on compressed air to the drill. When however, drilling is done by hand, it shall be sufficient if holes are kept constantly moist during such drilling;

(c) rovery roadway on surface or belowground where mobile mining machinery ply, shall be regularly wetted or shall be effectively treated with some other equally efficient agent to reduce dust being raised in the atmosphere to a minimum.

(d) No plant for the screening or sorting of minerals or ores and as far as practicable, no heap or cinder, cement, send, morter or other dry and fine material, shall be placed within 80 meters of the top of carrydown cast shaft or intake on way nor shall any such material be so handled as to make it air-borne and drawn into any such shaft or such airway.

(e) in every mine belowground--

(i) no machinery or equipment which is likely to emit dust in excess of permissible limit shall be operated unless it is equipped with a suitable dust prevention and suppression device and unless such device is operating efficiently;

(ii) the designs, arrangement, material and condition of picks on every mechanical coal cutter shall be such as to reduce the formation of dust to the minimum and no mechanical coal cutter shall be operated unless suitable water sprays or jets of water are directed on the cutting edges thereof so as to damp the cuttings as they are formed;

(iii) every working face and the floor, roof and sides of every roadway or airway within 60 meters thereof shall be, unless naturally wet throughout, regularly washed down to prevent accumulation of dust and shall be kept throughly wetted during work shifts;

(iv) a current or air sufficient to clear away the dust emitted by any machinery or operation and to dilute the dust concentration below the 'permissible limit' shall be maintained by means of general ventilation and if necessary, by local ventilation, so however, that, as far as practicable, the volicity of air in any roadway or workplace shall not be such as to raise dust in the atmosphere;

(v) after blasting, working places shall not be entered unless sufficient time has elapsed for dust, smoke and fumes to be cleared by a current of air and the broken material shall not be moved unless it has been thoroughly wetted with water;

(vi) vehicles, tubs and conveyors used for transport of coal shall be maintained in good condition so as to minimise spillage or leakage, Chutes, spiral conveyors, ore passes, bins, tripplers, conveyor discharge points and skip loading and unloading installations shall be so controlled as to reduce the formation of dust of the minimum. Such material shall be also thoroughly wetted with water unless it is already wet or other effective means of dust suppression are used;

(vii) unless owing to special difficulties, exempted in writing by Regional Inspector in that behalf and subject to such conditions as he may specify therein. water in pipes in sufficient quantity and under adequate pressure and dependent of any pumping system, shall be provided and maintained so as to get maximum efficiency in the laying of dust.

(f) No process of crushing, breaking, disintergrating, dressing, sorting, grinding, screening or sieving of coal or stone or any operation incidental thereto, shall be carried out at any mine unless efficient watering or other appropriate and effective dust control measures, such as, but not limited to isolation, enclouser, exhaust ventilation and dust collection are designed, provided, maintained and used.

(g) The exhausted air, belowground, or on surface, which contains dust in excess of the 'permisible limit' shall be efficiently diluted and if necessary filtered so as to reduce are concentration of respirable dust therein below ten per cent of the 'permissible limit' before being recirulated into workplaces or before emission into atmosphere.

(h) Every device used for the prevention and suppression of dust produced by any machinery, equipment or process as also for the filtering of the exhausted air and every dust respirator shall be inspected once at

least in every seven days and shall be thoroughly examined and tested at least once in every period of six months and ports of the results of every such inspection, examination and test shall be recorded in the register maintained under clause (e) of the sub-regulation (3).

(7) The manager of every mine where airborne dust is generated shall formulate and implement a scheme specifying :—

(a) the location, frequency, timing, duration and pattern of sampling;

(b) the instruments and accessories be used for sampling;

(c) the laboratory at which respirable dust content of samples and quartz content shall be determined;

(d) the format in which the results of measurements of dust concentration and other particulars are to be recorded;

(e) the organisation for dust monitoring and for the examination and maintenance of dust prevention and suppression measures and dust respirators; and

(f) the manner of making all persons concerned with the implementation of the dust control measures fully conversant with the nature of work to be performed by each in that behalf.

(8) The Regional Inspector may, where special conditions exist, permit or require by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, any variation in the foregoing provisions or in the manager's scheme.

(9) If any doubt arises as to any matter referred to in this regulation, it shall be referred to the Chief Inspector for decision.

3. After regulation 123 A of the said regulations, the following regulation shall be inserted namely :—

"123-A, Execution of measures for

"(1) Every part of a mine which is not naturally wet throught or which is not isolated by exploration proof stopping shall :—

(a) as far as practicable, be kept clear of any accumulation of coal dust; and

(b) be treated —

(i) with fine incombustible dust in such manner and at such intervals as will ensure that the dust on the floor, roof and sides and any support or structure shall always consist of a mixture containing not less than 75 per cent of incombustible matter in case of coal seams containing less than 30 per cent volatile matter (on dry ash free basis) and 85 per cent of incombustible matter in case of coal seams containing more than 30 per cent of such volatile matter; or

(ii) with water in such manner and at such intervals as will ensure that the dust on the floor, roof and sides and on any support or structure is always combined with not less than 30 per cent by weight of water intimate mixture; or

(iii) in such manner as the Regional Inspector may approve by an order in writing.

(2) (a) The incombustible dust used for the purpose of this sub-regulation shall be :—

(i) such that it does not contain more than 5 per cent of free silica;

(ii) of such fineness and character, that it is readily dispersable into the air and that, when used in places which are not directly wetted by water from the strata it does not cake but it is dispersed into the air, when blown upon with mouth or by a suitable appliance; and

(iii) as far as precticable light in colour. No such incombustible dust shall continue to be used if it is found by tests, which shall be carried out once at least in every three months, not to comply with the foregoing requirements :

Provided that when the supply incombustible dust used in a mine is not from a regular source, these tests shall be carried out whenever a fresh supply of incombustible dust is received.

(b) Where any place or part of the mine is to be treated with incombustible dust :—

(i) before treating with incombustible dust, all coal dust shall be cleaned, as far as practicable, from the roof, sides, floor, props, cogs, bars, brattice cloth or any other objects or structure or place on which coal dust may deposit, and all dust so collected shall be removed to the surface within 24 hours.

(ii) incombustible dust shall be spread on the objects, structure and places aforesaid in adequate quantity and at such intervals as may be necessary to ensure compliance with the provisions of sub-regulation (1) (b);

(iii) the cleaning of coal dust and spreading of incombustible dust shall be carried out in the direction of the flow of the air;

(iv) a sufficient supply of incombustible dust shall be readily available at suitable places in the mine, and any deficiency in the supply of dust underground shall immediately be brought to the notice of the manager; and

(v) incombustible dust stacked at different places and kept on pans or in dust barriers in the mine shall be changed whenever it is no longer readily dispersable or whenever it becomes costed with coal dust, such dust shall be removed.

4. In regulation 123-B of the said regulations :—

(i) in sub-regulation (1), for the word and figure 'regulation 123", the word and figure and letter "Regulation 123-A" shall be substituted.

(ii) (a) Sub-regulation '(1) (A) in clause (b) for figures and word "24 hours", the figure and word '20 hours' shall be substituted.

(B) in clause (c) word figures brackets and letter "regulation 123 (5) (b)", the word, figures, brackets and letter "regulation 123-A(1) (b)" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (5) for the word, figures, brackets and letter "regulation 123 (5) (b)", the word, figures, brackets and letter "123-A(1) (b)" shall be substituted.

5. In the Table under regulation 136-A of the said regulations, in column 1, for the words "First and degree", the words "First, Second or Third degree" and for the words "Second degree", the words "First or Second degree" shall be substituted.

6. In regulation 146, of the said regulations :—

(i) for the sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:

'(1) Now working or gallery shall be extended to a distance of more than 4.5 metres from the nearest ventilation connection unless the current of air is coursed upto a point within 4.5 meters of the face, by means of fire resistant pipes, tubes, brattices or other materials.";

(ii) sub-regulations (7) and (8) shall be omitted.

[No. S. 66012|4|86-M.I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

1665 GI/88—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988